

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत..... सहायक कलक्टर (SDC) बायतु..... मुकाम.....

रामधर कर्णो बनाम खेताराम कर्णो  
किस्म मुकदमा No. 21947 111, 128 नं. RLR AL- सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जायस</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR AL</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/4/22</u> को पेश हो।</p>	
19/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट नोटिस तामील हुआ जल जिनमें तामील पत्रावली विधा उपर। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट तामील अनुपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार आवज लगाई गई तामिल आवज 5.45 पर लगाई गई विप्रार्थी/प्रतिवादी स्वयं या उनकी ओर से कोई आक्षेपक उपस्थित नहीं हुआ। विराज विप्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एडवोकेट कार्यालय जाल में लाई जाती है। अतः वास्ते पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को पेश की।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDC) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम  
अहक  
हुक्म क  
में जारी

न्यायालय उत्तर  
क्रमांक : वाद / 2022 / 822  
प्रार्थी  
1. माफ  
जफ

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/835

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सायर पत्नी जगरामाराम वगैरा 06,  
जाति जाट, निवासी सुजानिया नाडीया,  
पटवार मण्डल अकदडा,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,  
जाति मेघवाल, निवासी सुजानिया नाडीया,  
पटवार मण्डल अकदडा,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 117/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सुजानिया नाडा, पटवार मण्डल - अकदडा तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 619/409, 620/409, 407 रकबा क्रमशः 7.2406, 2.4270, 0.0971 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया) बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद/2022/836-840

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति सायर पत्नी जगरामाराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर